कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।
ई–प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

पत्रांक 1100 / 3ए दिनांक :– 18 / 04 / 2026

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग में रोड साईनेज कार्य हेतु मुख्य अभियंता (मु0–2) लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा श्रेणी A में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य की निविदा डाल सकता है। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0–4 में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली–भॉति अध्ययन कर लें।
2. कार्यों का विवरण

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा का मूल्य	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बागपत	वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद बागपत में छपरौली–किशनपुर बराल, गांगनौली, दोघट, पुसार होते हुये बरनावा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.000 से 11.550 पर रोड मार्किंग का कार्य।	21.00	2.10	500+300 +GST (18%) =944	02 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत	मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ
2		नैथला मोड राजपुर खामपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर रोड मार्किंग एवं रोफ फर्नीचर का कार्य।	27.17	2.72	500+300 +GST (18%) =944	02 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत	मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ
3		वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद बागपत में छपरौली किशनपुर बिराल, दोघट, गांगनौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 12 (450), 13, 14, 15, 16 एवं 17 में रोड मार्किंग का कार्य।	8.00	0.80	500+225 +GST (18%) =856	02 माह	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत	मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ	मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ

3. क्र0सं0–2 पर कार्य को पूर्ण करने की **अवधि कॉलम 07** पर अंकित है, जो वर्षाकाल सहित होगी।
4. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैद्यता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ क0सं0 2 के कॉलम संख्या 6 के अनुसार अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में, उपरोक्त धनराशि के लिये **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत** के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** से दिनांक 13.05.2026 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 19.05.2026 सांय 14:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।
6. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटिल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
7. निविदा प्रपत्र के क्लॉज 9.2 के अनुदान प्रीबिड बैठक **दिनांक 14.05.2026** को दोपहर 12.00 बजे अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें कार्यों से सम्बन्धित समस्त जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती हैं।
8. ई–टेन्डिरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 19.05.2026 एवं समय 14:00 बजे तक है तथा तकनीकी निविदायें दिनांक 19.05.2026 को 14:30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत में खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैद्यता पूर्ववत् होगा। ऑनलाईन फाईनेन्शियल बिड खोलने हेतु समय एवं तिथि वेबसाईट पर बाद में दर्शाई जायेगी।
9. निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स / पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूमि प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर प्राप्त ट्रॉजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जोने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स / पे आर्डर्स / प्रतिभूमि प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नही किए जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथाउसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।
10. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0 4.4 बी (सी) (i) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड / वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।
11. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0 4.4 बी (सी) (ii) के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि / कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली

है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जिसका उल्लेख कॉलम–8 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से सांय 14:00 बजे तक **दि0 13.05.2026 से 19.05.2026 तक** देखा जा सकता है।
13. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
14. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)
15. निविदादाता को निविदा के साथ निर्धारित वैधता के लिए रू0 100/– का स्टाम्प पेपर रू0 1/– का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. प्रत्येक निविदादाता को वेबसाईट से निविदा प्रपत्र–टी–1 डाउन लोड कर हस्ताक्षर कर पुनः अपलोड करना अनिवार्य है।
17. प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र (टी–1) के सेक्शन 3 क्वालीफिकेशन इन्फारमेशन के लिए रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनायें देनी होगी।
18. निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिये सभी सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर (टी–4, टी–5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी–6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
19. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
20. निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जॉच कर लेनी चाहिंये।
21. विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
22. धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2आडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।
23. शासनादेश संख्या–692/23–7–2024लो0नि0अनु0–07 लखनऊ दिनांक 09.08.2024 के आदेशानुसार प्रहरी एप पर चाणक्य के माध्यम से निविदा डालने हेतु पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
24. लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयक से की जायेगी।
25. ठेकेदार फर्म जिसके नाम अनुबन्ध गठित होगा, अनुबन्ध गठन के एक सप्ताह के अन्दर लेबर विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
26. रेट्रों रेफ्लेक्टिव साईनेज के शीट एच0आई0पी0 या ए0डी0 हालमार्ग के होने चाहिये। निविदादाता कम्पनी द्वारा दिया गया नमूना पूर्व में ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ताकि आपूर्ति लेते समय उन नमूनों से भली प्रकार मिला जा सकें।
27. रोड साईनेज कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निम्नांकित में से किसी एक कम्पनी का नेशनल कनवर्टर देना अनिवार्य होगा।
    (1)–3 एम0 (2)–एवरी डेनीसन (3)–निक्केलाईट
28. निविदादाता के पास रेट्रो रेफ्लेक्टिव साईन बोर्ड की शीटिंग को एल्यूमीनियम शीट पर विधिवत लगाने के लिये आई0एस0ओ0 प्रमाणित कार्यशाला का होना अनिवार्य है।
29. ठेकेदार ने विगत तीन वर्षो में कम से कम दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष निविदा में कार्य की लागत के 80 प्रतिशत लागत के समकक्ष कम से कम 2 कार्यों को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया है।
30. प्रत्येक ओवरहैड/केन्टीलीवर/बोलार्ड अथवा अन्य रेट्रो रेफ्लेक्टिव साईन बोर्ड के पीछे मार्ग का नाम अनुबन्ध एवं ठेकेदार का नाम 10 एम0एम0 साईन में अंग्रेजी में इन्ग्रेव किया जाना अनिवार्य होगा।
31. वारन्टी अवधि का तात्पर्य रेट्रों रिफ्लेक्टिव शीटिंग आफ माइक्रों प्रिसमेटिक शीटिंग वाले कार्य के लिये 10 वर्ष तथा हाई इन्टेनसिटी ग्रेड (एच0आई0पी0) शीटिंग वाली कार्य के लिये 7 वर्ष होगी। (एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टियों के अनुच्छेद संख्या–801.3.11 के अनुसार)
32. वारन्टी अवधि में ठेकेदार द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य की लागत के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि खण्ड में जमानत के रूप में बंधक रहेगी।
33. रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेन्ट पॉलीमर से निर्मित बॉडी व लेन्सेस की होगी।
34. रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर की फिक्सिंग मार्ग की सतह के ऊपर हॉट मेल्ट बिटुमिनस ऐडहेसिव से थर्मो स्टेट नियंत्रित एप्लीकेटर द्वारा ही की जायेगी।
35. रेज्ड रिफ्लेकिटव पेवमेन्ट मार्कर की गुणवत्ता ए0एस0टी0एम0डी0–4280 के अनुसार होगी।
36. मार्ग के सेन्टर में लाल रंग के रिफ्लेक्टिव लेंस वाले एवं किनारों पर पीले रिफ्लेक्टिव लेंस वाले ही Reflective Raised Pavement Marker लगवाये जाये।
37. रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट की गुणवत्ता एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0–801.3 के अनुसार होगी तथा ठेकेदार को रोड साईनेज की पद्धति के अनुसार ही एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टि संख्या 801.3.11 के अनुसार वारण्टी देना अनिवार्य होगा।
38. थर्मोप्लास्टिक रोड़ माकिंग के कार्य के कार्य में Morth की विशिष्टियों के अनुच्छेद संख्या–803.4 के अनुसार किया जायेगा।
39. Morth के अनुच्छेद संख्या–803.4.1.2(v) के अनुसार थर्मोप्लास्टिक सामग्री के प्रत्येक कन्टेनर का रिकार्ड निविदादाता द्वारा रखा जायेगा जिसमें निम्नांकित सूचना आवश्यक होगीः–
    1- नाम, ट्रेड मार्क तथा निर्माता की पहचान के चिन्ह।
    2- बैंच संख्या
    3- उत्पादन की तिथि
    4- रंग (सफेद या पीला)
    5- अधिकतम लेईंग तापमान तथा अधिकतम सुरक्षित गर्म करने का तापमान

40. निविदादाता को MORTH की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0–803.4.12 के अनुसार पेंट निर्माता कम्पनी का सामग्री परीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग पेण्ट की गुणवत्ता की जांच स्वतंत्र रूप से करायेगी।

41. प्रत्येक Sign Board के पीछे ठेकेदार का नाम व अनुबन्ध संख्या 10 एम0एम0 साईज में अग्रेंजी में इनग्रेव करना अनिवार्य होगा।

42. प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी शासनादेश संख्या 692/23–07–2024 लो0नि0अनु0–7 लखनऊ दिनांक 09.08.2024 में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही ली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत

पत्रांक 1390/3ए दिनांक 14/05/2026

—: शुद्धि पत्र :—

इस कार्यालय की ई–निविदा सूचना सं0 1100/3ए0 दिनांक 18.04.2026 के द्वारा आमंत्रित ई–निविदा जो दिनांक 13.05.2026 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से दिनांक 19.05.2026 को अपरान्ह् 14:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड एवं जिनकी तकनीकी बिड दिनांक 19.05.2026 को 14:30 बजे खोली जानी थी अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा दिनांक 18.05.2026 को अपरान्ह् 17:00 बजे से दिनांक 23.05.2026 को 14:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जायेगी एवं जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 23.05.2026 को अपरान्ह् 14:30 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदा में वित्तीय वर्ष 2026–27 पढ़ा जाये।

ई–निविदा की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत

पत्रांक /3ए दिनांक / /2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. अनुबन्ध सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत को।
4. सूचना पट्ट।

संलग्नः– एक प्रति।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत

Signature Not Verified

Digitally signed by ATUL KUMAR
Date: 2026.05.18 13:25:22 IST
Location: Uttar Pradesh-UP